भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1743

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

देहरादून में सड़क दुर्घटना

1743. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देहरादून में प्रभावी सड़क सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित न कर पाने के क्या कारण हैं जिसके कारण हाल ही में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में एक त्रासद दुर्घटना हुई है;

(ख) क्या एक विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और बार-बार होने वाली घटनाओं के बावजूद प्रवर्तन में चूक के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देहरादून में दुर्घटना संभावित क्षेत्र में किसी जांच चौकी अथवा पर्याप्त निगरानी प्रणाली का अभाव है और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(घ) क्या नशे की हालत में वाहन चलाने से रोकने के संबंध में कोई मानक प्रक्रिया है और उसे लागू न करने के क्या कारण हैं, जिसके कारण नशे में धुत चालक द्वारा ऐसी घातक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) उत्तराखंड राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रथम दृष्टया, दिनांक 12.11.2024 को देहरादून जिले के ओएनजीसी/कौलागढ़ चौक पर हुई घटना, संबंधित वाहन पर चालक के अनुचित नियंत्रण के कारण हुई, जिसके कारण वाहन एक ट्रक कंटेनर से टकरा गया तथा, यह घटना यातायात सुरक्षा उपायों की विफलता के कारण नहीं हुई पाई गई।

(ख) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति तथा 6 अन्य को बचाया, जो मृत प्रतीत हो रहे थे। सभी पीड़ितों को तत्काल निकटवर्ती अस्पतालों में भेजा गया।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि दुर्घटना के समय कार तेज गति से चल रही थी। साथ ही, कार के ब्रेक के नीचे एक पानी की बोतल भी फंसी हुई पाई गई, जिसके कारण उक्त कार के ब्रेक नहीं लग सके, क्योंकि उक्त कार के अचानक ब्रेक लगने के कारण सड़क पर टायरों के निशान नहीं मिले। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

(ग) और (घ) यातायात उल्लंघन का प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य ने यातायात की निगरानी के लिए देहरादून जिले में 686 क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे, 105 रेड लाइट उल्लंघन जांच (आरएलवीडी) प्रणाली, 28 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे, 04 स्पीड उल्लंघन जांच प्रणाली (एसवीडीएस) और 03 ड्रोन कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा, स्मार्ट बस स्टॉप, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन और रिफ्लेक्टर वाली स्टॉप लाइनें भी लगाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य पुलिस एल्कोमीटर से शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों की जांच करती है और नियमानुसार कार्रवाई करती है। पुलिस ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत वर्ष 2022 में 685, वर्ष 2023 में 756 तथा वर्ष 2024 में (10/2024 तक) 1226 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

*****